न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 167 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 27.07.2017

शंकरगर पिता हेमगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. रूपगर पिता हेमगर जाति गुसाई –मृतक के बजाय
   1. कैलाश गिरी पिता रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   2. शिव गिरी पिता रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   3. अणछी बाई विधवा रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 78/2005 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2008

उपस्थित– 1. कृष्णगोपाल झंवर –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. कैलाश चन्द उपाध्याय –रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 168 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 27.07.2017

शंकरगर पिता हेमगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. रूपगर पिता हेमगर जाति गुसाई –मृतक के बजाय
   1. कैलाश गिरी पिता रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   2. शिव गिरी पिता रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   3. अणछी बाई विधवा रूपगर जाति गुसाई निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 78/2005 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2009

उपस्थित- 1. कृष्णगोपाल झंवर -अधिवक्ता अपीलान्ट
2. कैलाश चन्द उपाध्याय -रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3

निर्णय **दिनांक 21.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 3 के पति वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पीपलखेडी तहसील कपासन की आराजी नम्बर 189 रकबा 0.52 हैक्टेयर 347 रकबा 0.08 हैक्टेयर आराजी नम्बर 385 रकबा 0.61 हैक्टेयर आराजी नम्बर 386 रकबा 0.10 हैक्टेयर आराजी नम्बर 387 रकबा 1.60 हैक्टेयर आराजी नम्बर 388 रकबा 0.03 हैक्टेयर आराजी नम्बर 390 रकबा 0.63 हैक्टेयर आराजी नम्बर 397 रकबा 0.28 हैक्टेयर आराजी नम्बर 754 रकबा 1.46 हैक्टेयर आराजी नम्बर 792 रकबा 0.40 हैक्टेयर आराजी नम्बर 800 रकबा 1.16 हैक्टेयर आराजी नम्बर 803 रकबा 0.52 हैक्टेयर आराजी नम्बर 804 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी नम्बर 807 रकबा 0.22 हैक्टेयर आराजी नम्बर 977/896 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 9.09 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उसी अनुसार उक्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग-अलग दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किया गया, जो वाद तामील प्राप्त हुआ। अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे तनकियात कायम की। पत्रावली मे दिनांक 28.05.2008 को बहस सुनी जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे उक्त आराजीयात का कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किया जाकर दिनांक 30.06.2009 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2008 के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा आक्षेपाधीन अपील क्रमांक डिक्री 167/2017 पंजीबद्ध की गई व रेस्पोडेन्टगण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण वादीगण के सम्मन नोटिस तामील होने पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2009 के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा आक्षेपाधीन अपील क्रमांक डिक्री 168/2017 पंजीबद्ध की गई व रेस्पोडेन्टगण वादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण वादीगण के सम्मन नोटिस तामील होने पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दोनो प्रकरणो मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होने व पक्षकारान भी समान होने व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2008 को पारित की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2009 को पारित की गई।

दोनो अपीलो मे विवादित कृषि आराजीयात व पक्षकारान समान होने से दोनो अपीलो मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की एक साथ बहस सुनी गई। एक साथ निर्णित की जाकर निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियो मे संलग्न रहे।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण वादी के विरूद्ध दोनो अपीले म्याद बाहर प्रस्तुत की गई। दोनो अपीलो मे अपीले म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2004 पार्ट-1 पेज 403, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 117, 337 आरआरटी 2007 पार्ट-1 पेज 42, आरआरडी 2001 पेज 51, आरआरडी 1993 पेज 1, आरआरटी 2017 पार्ट-1 पेज 679, आरजेटी 2016 पार्ट-3 पेज 1544 प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कर उक्त न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर अपील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रार्थी अपीलान्ट प्रतिवादी की प्रोपर तामील हुई है। तामील की पालना मे प्रतिवादी अपीलान्ट उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया है व प्रतिवादी की उपस्थिति मे विद्धान विचारण न्यायालय के द्वारा तनकियात कायम की जाकर दिनांक 28.05.2008 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उसके पश्चात् उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे कमिश्नर के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे बंटवाडा नियमो की पालना करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट प्रतिवादी की उपस्थिति मे बहस सुनी जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी को प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2008 व उसकी उपस्थिति मे पारित की गई अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2009 की जानकारी अपीलान्ट प्रतिवादी को प्रारम्भ से रही है। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2021 पार्ट-4 सुप्रीम कोर्ट पेज 1047, आरआरटी 2013 पार्ट-2 सुप्रीम कोर्ट पेज 887, ए.आई.आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 1237, आरआरटी 2007 पार्ट-2 राजस्थान हाई कोर्ट पेज 788, डीएनजे 2020 रेवेन्यू पेज 221, ए.आई.आर. 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 1125, आरआरटी 2018 पेज 262, आरआरडी 1988 पेज 311 उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील मे हुई देरी को स्पष्ट करना आवश्यक है। पर्याप्त कारण स्पष्ट नही होने पर अपील म्याद बाहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की जावे। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे उभयपक्ष उपस्थित थे। अपील देरी से पेश करने का ठोस आधार नही होने से अपील कालबाधित होने से खारीज योग्य है। ए.आई.आर. 1997 पेज 1125 मे यह अंकित किया है कि तकनीकी आधार पर दावा खारीज किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलो मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले काल बाधित होने से निरस्त करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मे बहस पर मनन किया अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून अधिनियम के सम्बन्ध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र व रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र व रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का विवेचन किया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्पष्टतया 8 वर्ष म्याद बाहर है। अपीलान्ट प्रतिवादी अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे तामील की पालना मे उपस्थित हुआ व निर्णय तक प्रार्थी अपीलान्ट की अधीनस्थ विचारण न्यायालय की आदेशिका मे उपस्थिति दर्ज रही है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी को प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.08 जो उसकी उपस्थिति मे हुई व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.09 अपीलान्ट प्रतिवादी की उपस्थिति मे पारित हुई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है वह इस प्रकरण मे चस्पा होते है। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से म्याद को कन्डोन किये जाने के सम्बन्ध मे जो न्यायिक दृष्टान्त वक्त बहस प्रस्तुत किये है वह अपीलान्ट प्रतिवादी की अधीनस्थ न्यायालय मे निर्णय तक उपस्थिति आने से व अपीलान्ट को दोनो निर्णयो की जानकारी होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण मे चस्पा नही होते है। रेस्पोडेन्ट की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम को अस्वीकार करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये है वह इस प्रकरण मे चस्पा होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले अपील क्रमांक डिक्री 167/2017 एवं अपील क्रमांक डिक्री 168/2017 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 अस्वीकार होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपीले काल बाधित होने से अस्वीकार की जाती है। दोनो अपीले काल बाधित होने से गुणावगुण पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक नही है। दोनो अपीले म्याद के बिन्दु पर निरस्त की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। दोनो पत्रावलियां फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियो मे संलग्न रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सत्य प्रति के साथ लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)